

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अगस्त—2010 श्रावण 15, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

- | | | |
|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद के अधिनियम. |
| (ग) (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2010

सूचना

क्र. एफ. 13-33-2006-उन्तीस-2.—मध्यप्रदेश बाट और माप मानक (प्रवर्तन) नियम, 1989 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात्, बाट और माप मानक (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा 72 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त धारा की उपधारा (4) द्वारा अपेक्षित किए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा,

प्रकाशित करती है, और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर मध्यप्रदेश राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में, किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उपरोक्त नियमों में,—

- (1) नियम 14 में, उपनियम (1) में, तीसरे परंतुक में, शब्द "भी" के स्थान पर, शब्द "और" स्थापित किया जाए

तथा पूर्ण विराम के स्थान पर, कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“परंतु यह भी कि फायबर या प्लास्टिक या स्टील टेप मेजर को पुनर्सत्यापन करवाया जाना अपेक्षित नहीं होगा.”

(2) नियम 20 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान (जिसमें भौतिकी एक विषय के रूप में हो), प्रौद्योगिकी या इंजीनियरिंग में स्नातक न हो या इंजीनियरिंग में कोई मान्यता प्राप्त डिप्लोमा (उपाधि पत्र) न रखता हो तथा तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव न हो; और.”

(3) अनुसूची बारह के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

अनुसूची

[नियम 17 (1) देखिए]

बाटों, मापों और तौल और मापों के उपकरणों के सत्यापन और मुद्रांकन के लिये देय फीस

1. बाट :

(क) बुलियन बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
10 किग्रा	30.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	20.00
1 किग्रा	20.00
500 ग्राम	15.00
200 ग्राम	15.00
100 ग्राम	15.00
50 ग्राम	15.00
20 ग्राम	15.00
10 ग्राम	15.00
5 ग्राम	15.00
2 ग्राम	15.00
1 ग्राम	15.00
500 मिग्रा	15.00
200 मिग्रा	15.00
100 मिग्रा	15.00
50 मिग्रा	15.00
20 मिग्रा	15.00
10 मिग्रा	15.00
5 मिग्रा	15.00
2 मिग्रा	15.00
1 मिग्रा	15.00

(ख) कैरेट बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
500 कैरेट (100 ग्रा.)	20.00
200 कैरेट (40 ग्रा.)	20.00
100 कैरेट (20 ग्रा.)	20.00
50 कैरेट (10 ग्रा.)	20.00
20 कैरेट (4 ग्रा.)	20.00
10 कैरेट (2 ग्रा.)	20.00
5 कैरेट (1 ग्रा.)	20.00
2 कैरेट (400 मिग्रा.)	20.00
1 कैरेट (200 मिग्रा.)	20.00
0.05 कैरेट (100 मिग्रा.)	20.00
0.2 कैरेट (40 मिग्रा.)	20.00
0.1 कैरेट (20 मिग्रा.)	20.00
0.5 कैरेट (10 मिग्रा.)	20.00
0.02 कैरेट (4 मिग्रा.)	20.00
0.01 कैरेट (2 मिग्रा.)	20.00
0.005 कैरेट (1 मिग्रा.)	20.00

(ग) बेलनाकार घुण्डीवाले बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
10 किग्रा	20.00
5 किग्रा	20.00
2 किग्रा	15.00
1 किग्रा	10.00
500 ग्राम	5.00
200 ग्राम	5.00
100 ग्राम	5.00
50 ग्राम	5.00
20 ग्राम	5.00
10 ग्राम	5.00
5 ग्राम	5.00
2 ग्राम	5.00
1 ग्राम	5.00

(घ) चादरी धातु बाट :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
500 मिग्रा	5.00
200 मिग्रा	5.00
100 मिग्रा	5.00
50 मिग्रा	5.00
20 मिग्रा	5.00
10 मिग्रा	5.00

(1)	(2)	(1)	(2)
5 मिग्रा	5.00	20 लीटर	20.00
2 मिग्रा	5.00	10 लीटर	20.00
1 मिग्रा	5.00	5 लीटर	10.00
		2 लीटर	10.00
		1 लीटर	10.00
(ङ) लौह षड्भुजीय बाट, घुण्डी वाले बाट और समान्तरषटफलक बाट :		500 मिली	10.00
		200 मिली	10.00
अभिधान	फीस प्रतिनग (रुपए)	100 मिली	10.00
(1)	(2)	50 मिली	10.00
50 किग्रा	25.00	20 मिली	10.00
20 किग्रा	20.00	10 मिली	10.00
10 किग्रा	20.00	5 मिली	10.00
5 किग्रा	20.00	2 मिली	10.00
2 किग्रा	15.00	1 मिली	10.00
1 किग्रा	10.00		
500 ग्राम	5.00	3. लम्बाई माप :	
200 ग्राम	5.00	(क) अ-नम्य :	
100 ग्राम	5.00	अभिधान	फीस प्रतिनग (रुपए)
50 ग्राम	5.00	(1)	(2)
20 ग्राम	5.00	2 लीटर	10.00
10 ग्राम	5.00	1 मीटर	10.00
5 ग्राम	5.00	0.5 मीटर	20.00
2 ग्राम	5.00	1 मीटर प्रत्येक सेमी पर मापांकित.	20.00
1 ग्राम	5.00	0.5 मीटर प्रत्येक सेमी पर मापांकित.	20.00
(च) उच्च क्षमता वाली तौल मशीन के परीक्षण हेतु मानक बाट :		(ख) फेब्रिक या प्लास्टिक :	
अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के अनुपात के अनुसार फीस		वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर	
0.5/10000, 3.3/10000, 1.7/10000, 1.0/10000		वर्ग दो 15 पैसे/मीटर	
अभिधान	फीस प्रतिनग (रुपए)	वर्ग एक 20 पैसे/मीटर	
(1)	(2)	(ग) बुना हुआ :	
100 किग्रा	75.00 50.00	वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर	
200 किग्रा	150.00 100.00	वर्ग दो 15 पैसे/मीटर	
500 किग्रा	300.00 200.00	वर्ग एक 20 पैसे/मीटर	
1000 किग्रा	750.00 500.00	(घ) इस्यात फीते :	
2000 किग्रा	1500.00 1000.00	वर्ग तीन 10 पैसे/मीटर	
5000 किग्रा	3000.00 2000.00	वर्ग दो 15 पैसे/मीटर	
		वर्ग एक 20 पैसे/मीटर	
2. क्षमता माप :		(ङ) फोलिडिंग स्केल्स :	
अभिधान	फीस प्रतिनग (रुपए)	अभिधान	फीस प्रतिनग (रुपए)
(1)	(2)	(1)	(2)
100 लीटर और अधिक	पहले 100 लीटर के लिये रुपए 50, रुपए 7 प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए.	1 मीटर	10.00
50 लीटर	50.00	0.5 मीटर	10.00

(च) सर्वेक्षण चेन :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)	(1)	(2)
30 मीटर	100.00	50 टन	2000.00
20 मीटर	100.00	40 टन	2000.00
		30 टन	2000.00
		25 टन	2000.00

4. डण्डी वाली तराजू : वर्ग क और ख

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)	(1)	(2)
200 किग्रा	400.00	20 टन	2000.00
100 किग्रा	300.00	15 टन	2000.00
50 किग्रा	150.00	10 टन	1000.00
20 किग्रा	150.00	5 टन	500.00
10 किग्रा	150.00	3 टन	400.00
5 किग्रा	100.00	2 टन	400.00
2 किग्रा	100.00	1500 किग्रा	300.00
1 किग्रा	100.00	1000 किग्रा	300.00
500 ग्राम और उससे कम	60.00	500 किग्रा	300.00
		300 किग्रा	200.00
		250 किग्रा	200.00
		200 किग्रा	100.00
		150 किग्रा	100.00
		100 किग्रा	100.00

5. डण्डी वाली तराजू : वर्ग ग और घ

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)	(1)	(2)
1000 किग्रा	200.00	50 किग्रा	100.00
500 किग्रा	200.00	30 किग्रा	100.00
300 किग्रा	200.00	25 किग्रा	60.00
200 किग्रा	100.00	20 किग्रा	60.00
100 किग्रा	100.00	15 किग्रा	30.00
50 किग्रा	20.00	10 किग्रा	30.00
20 किग्रा	20.00	5 किग्रा	30.00
10 किग्रा	20.00	3 किग्रा	30.00
5 किग्रा	15.00	2 किग्रा	30.00
2 किग्रा	15.00	1 किग्रा	15.00
1 किग्रा	15.00	500 ग्राम और उसके नीचे	15.00
500 ग्राम और उससे कम	10.00		

7. मध्यम एवं साधारण यथार्थता वाले वर्ग तीन तथा चार के गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक :

6. मध्यम एवं साधारण यथार्थता वाले वर्ग तीन और चार के गैर-स्वचालित तौल उपकरण, यांत्रिक (एनालॉग उपकरण) :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)	अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
400 टन	4000.00	400 टन	4000.00
300 टन	3000.00	300 टन	3000.00
200 टन	3000.00	200 टन	3000.00
150 टन	2000.00	150 टन	2000.00
100 टन	2000.00	100 टन	2000.00
80 टन	2000.00	80 टन	2000.00
60 टन	2000.00	60 टन	2000.00
		50 टन	2000.00
		40 टन	2000.00
		30 टन	2000.00
		25 टन	2000.00
		20 टन	2000.00

(1)	(2)
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	1000.00
3 टन	500.00
2 टन	500.00
1500 किग्रा	250.00
1000 किग्रा	250.00
500 किग्रा	250.00
300 किग्रा	200.00
250 किग्रा	200.00
200 किग्रा	200.00
150 किग्रा	200.00
100 किग्रा	200.00
50 किग्रा	200.00
30 किग्रा	200.00
25 किग्रा	200.00
20 किग्रा	100.00
15 किग्रा	100.00
10 किग्रा	100.00
5 किग्रा	100.00
3 किग्रा	100.00
2 किग्रा	100.00
1 किग्रा	100.00
500 ग्राम और उसके नीचे	100.00

8. उच्च यथार्थता वाले वर्ग एक और दो के और विशेष यथार्थता वाले दोनों यांत्रिक तथा इलेक्ट्रॉनिक मध्यम एवं साधारण यथार्थता वाले तौल उपकरण :

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक.	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक.	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक.	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक.	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

9. स्वचालित तौल मशीन:

अभिधान (1)	फीस प्रतिनग (रुपए) (2)
अभिधान	फीस प्रति नग (रुपए)
100 टन से अधिक	1000.00

(1)	(2)
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	3000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	2000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	1000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 किग्रा से अधिक	500.00
50 किग्रा से अनधिक किन्तु 10 किग्रा से अधिक	250.00
10 किग्रा से अनधिक	200.00

10. आयतन मापक उपकरण:

(क) डिसपेंसिंग पम्प प्रत्येक पम्प	1000.00
(ख) योगकरण काउंटर्स	500.00
(ग) अन्य उपकरण	पहले 100 लीटर के लिए, 100 लीटर से अधिक 500.00 प्रत्येक अतिरिक्त 100 लीटर या उसके भाग के लिए 250.00
100 लीटर से अनाधिक किंतु 50 लीटर से अधिक.	500.00
50 लीटर से अनधिक किंतु 20 लीटर से अधिक.	250.00
20 लीटर से अनधिक	200.00

11. फ्लो (प्रवाह) मीटर :

फ्लो-रेट (प्रवाह दर)	
100 लीटर/मिनट तक	रु. 2000.00
100 लीटर से ऊपर किन्तु 500 लीटर/मिनट तक	रु. 3000.00
500 लीटर/मिनट से अधिक	रु. 5000.00

12. रेखीय मापक उपकरण :

ऑटो रिक्शा/टैक्सी मीटर	रु. 100.00
अन्य मीटर	रु. 50 पहले 1 .. किमी या उसके भाग के लिये + रु. 5/- अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिये

13. डाक्टरी थर्मामीटर :

20 पैसे/थर्मामीटर

14. पानी का मीटर :

रु. 25.00

15. चाला मापनी :

30 मिली	50.00
60 मिली	50.00
100 मिली	50.00

16. सीएनजी आटो

फ्यूल पम्प (प्रति इकाई) 1000.00

17. मोटर यान के लिए

एल.पी.जी. डिसपेंसर प्रति इकाई 1000.00

NOTICE

The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Standards of Weights and Measures (Enforcement) Rules, 1989, which the State Government, after consultation with the Central Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 72 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Act, 1985 (No. 54 of 1985) is hereby published as required by sub-section (4) of the said Section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

- (1) In rule 14, in sub-rule (1), in the third proviso, for the word "also", the word "further" shall be substituted and for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that for fiber or plastic or steel tape measures, no re-verification shall be required."

- (2) In rule 20, in sub-rule (1), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) is a graduate of a recognised University in Science (with Physics as one of the subjects), technology or engineering or holds a recognised diploma in engineering and having professional experience of 3 years; and"

- (3) For Schedule XII, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"SCHEDULE

[See Rule 17 (1)]

FEE PAYABLE FOR VERIFICATION AND STAMPING OF WEIGHTS MEASURES AND MEASURING INSTRUMENTS

(1) **Weights:**(a) **Bullion Weights**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg	30.00

(1)	(2)
5 Kg	20.00
2 Kg	20.00
1 Kg	20.00
500 g	15.00
200 g	15.00
100 g	15.00
50 g	15.00
20 g	15.00
10 g	15.00
5 g	15.00
2 g	15.00
1 g	15.00
500 mg	15.00
200 mg	15.00
100 mg	15.00
50 mg	15.00
20 mg	15.00
10 mg	15.00
5 mg	15.00
2 mg	15.00
1 mg	15.00

(b) **Carat Weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 c (100 g)	20.00
200 c (40 g)	20.00
100 c (20 g)	20.00
50 c (10 g)	20.00
20 c (4 g)	20.00
10 c (2 g)	20.00
5 c (1 g)	20.00
2 c (400 mg)	20.00
1 c (200 mg)	20.00
0.5c (100 mg)	20.00
0.2 c (40 mg)	20.00
0.1 c (20 mg)	20.00
0.05 c	20.00
0.02 c (4 mg)	20.00
0.01 c (2 mg)	20.00
0.005c (1 mg)	20.00

(C) **Cylindrical knob type weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 Kg	20.00
5 Kg	20.00
2 Kg	15.00
1 Kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00
50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00

(1)	(2)
5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

(d) **Sheet metal Weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 mg	5.00
200 mg	5.00
100 mg	5.00
50 mg	5.00
20 mg	5.00
10 mg	5.00
5 mg	5.00
2 mg	5.00
1 mg	5.00

(e) **Iron hexogonal weights, knob type Weights and paralleloiped weights :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
50 Kg	25.00
20 Kg	20.00
10 Kg	20.00
5 Kg	20.00
2 Kg	15.00
1 Kg	10.00
500 g	5.00
200 g	5.00
100 g	5.00
50 g	5.00
20 g	5.00
10 g	5.00
5 g	5.00
2 g	5.00
1 g	5.00

(f) **Standard Weights for testing of, high capacity weighing machines :**

Fees corresponding to Max. permissible relative error

0.5/10000	3.3/10000, 1.7/10000, 1.0/10000
-----------	---------------------------------------

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
100 Kg	75.00
200 Kg	150.00
500 Kg	300.00
1000 Kg	750.00
2000 Kg	1500.00
5000 Kg	3000.00

(2) **Capacity Measures :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
100 l and above	Rs. 50 for the 1st 100 litre plus Rs. 7 for every additional 100 litre or part thereof
50 l	50.00
20 l	20.00
10 l	20.00
5 l	10.00
2 l	10.00
1 l	10.00
500 ml	10.00
200 ml	10.00
100 ml	10.00
50 ml	10.00
20 ml	10.00
10 ml	10.00
5 ml	10.00
2 ml	10.00
1 ml	10.00

3 **Length Measures :**(a) **Non-Flexible—**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
2 m	10.00
1 m	10.00
0.5 m	20.00
1 m graduated at every cm.	20.00
0.5 m graduated at every cm	20.00

(b) **Fabric or Plastic—**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

(b) **Woven**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

(c) **Steel tapes :**

Class III	10 paise/ metre
Class II	15 paise/ metre
Class I	20 paise/ metre

(e) **Folding Scales :**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
1 m	10.00
0.5 m	10.00

(1)	(2)	(1)	(2)
(f) Surveying Chain—		25 t	2000.00
Denomination	Fee per piece (Rs.)	20 t	2000.00
(1)	(2)	15 t	2000.00
30 m	100.00	10 t	1000.00
20 m	100.00	5 t	500.00

4 Beam Scale Class A & B

Denomination	Fee per piece (Rs.)		
(1)	(2)		
200 Kg	400.00	3 t	400.00
100 Kg	300.00	2 t	400.00
50 Kg	150.00	1500 Kg	300.00
20 Kg	150.00	1000 Kg	300.00
10 Kg	150.00	500 Kg	300.00
5 Kg	100.00	300 Kg	200.00
2 Kg	100.00	250 Kg	200.00
1 Kg	100.00	200 Kg	100.00
500 g and below	60.00	150 Kg	100.00
		100 Kg	100.00
		50 Kg	100.00
		30 Kg	100.00
		25 Kg	60.00
		20 Kg	60.00
		15 Kg	30.00
		10 Kg	30.00
		5 Kg	30.00
		3 Kg	30.00
		2 Kg	30.00
		1 Kg	15.00
		500 g and below	15.00

5 Beam Scale Class C & D

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
1000 Kg	200.00
500 Kg	200.00
300 Kg	200.00
200 Kg	100.00
100 Kg	100.00
50 Kg	20.00
20 Kg	20.00
10 Kg	20.00
5 Kg	15.00
2 Kg	15.00
1 Kg	15.00
500 g and below	10.00

7 Non-Automatic weighing Instruments, Electronic belonging to ordinary and medium accuracy Class III and IV :—

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00
25 t	2000.00
20 t	2000.00
15 t	2000.00
10 t	1000.00
5 t	1000.00

6 Non-Automatic weighing Instruments, Mechanical (analogue Indication) belonging to ordinary and medium accuracy class III and IV

Denomination	Fee per piece (Rs.)
(1)	(2)
400 t	4000.00
300 t	3000.00
200 t	3000.00
150 t	2000.00
100 t	2000.00
80 t	2000.00
60 t	2000.00
50 t	2000.00
40 t	2000.00
30 t	2000.00

(1)	(2)
3 t	500.00
2 t	500.00
1500 Kg	250.00
1000 Kg	250.00
500 Kg	250.00
300 Kg	200.00
250 Kg	200.00
200 Kg	200.00
150 Kg	200.00
100 Kg	200.00
50 Kg	200.00
30 Kg	200.00
25 Kg	200.00
20 Kg	100.00
15 Kg	100.00
10 Kg	100.00
5 Kg	100.00
3 Kg	100.00
2 Kg	100.00
1 Kg	100.00
500 g and below	100.00

8 Weighing Instruments, of High accuracy class I and II and Special accuracy both Mechanical and Electronics belonging to ordinary and medium accuracy :

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
Exceeding 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t but exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t but exceed 50 Kg	500.00
Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg	250.00
Not exceed 10 Kg	200.00

9 Automatic Weighing Machine :

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
Exceeding 100 t	4000.00
Not exceed 100 t but exceed 50 t	3000.00
Not exceed 50 t but exceed 10 t	2000.00
Not exceed 10 t but exceed 1 t	1000.00
Not exceed 1 t but exceed 50 Kg	500.00
Not exceed 50 Kg but exceed 10 Kg	250.00
Not exceed 10 Kg	200.00

10 Volumetric measuring Instruments :

(a) Dispensing pumps-each pump	1000.00
(b) Totalizing counters	500.00
(c) Other Instrument's exceeding 100 litres.	Rs. 500 for the 1st 100 liters plus Rs. 250 for every additional 100 litres or part thereof
Not exceeding 100 litres but exceeding 50 litres	500.00
Not exceeding 50 litres but exceeding 20 litres	250.00
Not exceeding 20 litres	200.00
11 Flow Meters :	
Flow rate up to 100 litre/minute	2000.00
above 100 litre/minute to 500 litre/minute	3000.00
above 500 litre/minute	5000.00

12 Liner measuring Instruments :

Auto Rickshaw/Taxi meter	100.00
other Meters	Rs. 50 for 1st 1 Km or part thereof + Rs. 5 for every additional 100 m or part thereof

13. Clinical Thermometer 20 Paisa/thermometer

14. Water meter 25.00

15. Peg measure :

30 ml	50.00
60 ml	50.00
100 ml	50.00

16. CNG Auto Fuel Pump 1000.00 every unit

17. LPG dispenser for motor 1000.00 Vehicles every unit

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ललित दाहिमा, उपसचिव.

अंतिम नियम

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2010

क्र. एफ 23-30-पच्चीस-3-05.—राज्य शासन, एतद्वारा, समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 8 नवम्बर 2005 द्वारा प्रभावशील मध्यप्रदेश अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम, 2005 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

1. नियम 7.1.—नियम 5.1 में उल्लेखित अधिकतम सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा शासकीय स्वीकृति दी जायेगी, के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करता है:—

2. “नियम 5.1 में उल्लेखित अधिकतम सीमा तक जिले के कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से प्रशासकीय स्वीकृति दी जायेगी.”

3. नियम 10.2.—नगरीय अनुसूचित जनजाति बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर्स के माध्यम से नगरीय निकायों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा, के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन करता है:—

“नगरीय अनुसूचित जनजाति बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त नगरीय निकायों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा.”

4. नियम 10 आवंटन का प्रदाय-में नियम 10.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:—

“नियम 10.6-प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का 60 प्रतिशत जिलों की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा, तथा बजट प्रावधान का शेष 40 प्रतिशत शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगा, जिससे अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर शासन स्तर से आवंटन उपलब्ध कराया जा सकेगा.”

5. नियम 5-1 अनुसूचित जनजाति बस्ती विकास नियम 2005 के नियम 5-1 के अंतर्गत बस्ती विकास के कार्यों में क्रमांक 12 एवं 13 में निम्नानुसार कार्य प्रतिस्थापित किया जाता है:—

क्रमांक	कार्य का नाम	अधिकतम इकाई लागत
(1)	(2)	(3)
12	जनरेटर प्रदाय	2.00 लाख
13	नलकूप खनन	3.00 लाख
(समर्सिबल पंप सहित)		

भोपाल, दिनांक 19 जुलाई 2010

क्र. एफ 23-15-2004-4-पच्चीस.—राज्य शासन, एतद्वारा समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29 अक्टूबर 2004 द्वारा प्रभावशील मध्यप्रदेश

अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम 2004 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

1. नियम 3.3.—“अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तों से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/बस्तों/वार्डों/मजरे/टोलों/पारे से जिनमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा जहां कम से कम अनुसूचित जाति के 25 परिवार निवास करते हो के स्थान पर “निम्नानुसार संशोधन किया जाता है”.

“अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्ती से तात्पर्य ऐसे ग्रामों/बस्ती/वार्डों/मजरे/टोलों/पारे से जिनमें वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत या जहां अनुसूचित जाति के 20 परिवार निवास करते हो उन अनुसूचित जाति वार्डों में विकास कार्य कराये जायेंगे”.

2. नियम 5.1.—अनुसूचित जाति बस्ती विकास नियम, 2004 के नियम 5.1 के अंतर्गत बस्ती विकास के कार्यों में क्रमांक 12 एवं 13 में निम्नानुसार कार्य प्रतिस्थापित किया जाता है:—

क्रमांक	कार्य का नाम	अधिकतम इकाई लागत
(1)	(2)	(3)
12	जनरेटर प्रदाय	2.00 लाख
13	नलकूप खनन	3.00 लाख
(समर्सिबल पंप सहित)		

3. नियम 5.4.—“विशेष परिस्थितियों में सक्षम तकनीकी अधिकारी की सलाह पर नियम 5.1 में अंकित अधिकतम इकाई लागत सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की अनुमति आयुक्त/संचालक, अनुसूचित जाति विकास द्वारा दी जा सकेगी. के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.”

“विशेष परिस्थितियों में सक्षम तकनीकी अधिकारी की सलाह पर नियम 5.1 में अंकित अधिकतम इकाई लागत सीमा से अधिक धनराशि व्यय करने की अनुमति विभागीय मंत्री द्वारा आयुक्त/संचालक के स्थान पर किया जाता है.”

4. नियम 10-1.—“अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों के विकास कार्य कराने हेतु धनराशि का आवंटन आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा जिला कलेक्टर्स को उपलब्ध कराया जायेगा. के स्थान पर निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.”

“अनुसूचित जाति बस्ती विकास हेतु कार्य कराने हेतु धनराशि का आवंटन आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन के उपरान्त जिला कलेक्टर को उपलब्ध कराये जायेंगे.”

5. नियम 10.2.—“नगरीय अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर्स के माध्यम से नगर निकायों को जिला स्तर पर उपलब्ध कराया जायेगा.” में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है.

“नगरीय अनुसूचित जाति बस्तियों में इस योजना के तहत कराये जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु आवंटन जिला कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री के अनुमोदन उपरान्त कराये जायेंगे.”

6. नियम 10.6.—“आवंटन के प्रदाय में नियम 10.6 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“नियम 10.6 में प्रतिवर्ष बजट में प्रावधानित राशि का आवंटन 60 प्रतिशत जिलों की अनुसूचित जाति की जनसंख्या के अनुपातिक आधार पर आवंटित किया जायेगा तथा बजट प्रावधान का शेष 40 प्रतिशत शासन के विकल्प पर सुरक्षित रहेगा, जिससे विभिन्न स्तरों पर की गई घोषणाएं एवं शासन स्तर पर प्रस्तावित अति महत्वपूर्ण प्रस्तावों में आवंटन उपलब्ध कराने के लिये किया जा सकेगा.”

शेष विभागीय आदेश क्रमांक एफ 23-15-2004-4-पच्चीस, दिनांक 29 अक्टूबर 2004 यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. अहिरवार, अवर सचिव.

जनसम्पर्क विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2010

नियमों में संशोधन

क्र. एफ 11-22-2006-जस-चौबीस.—5.1.2 नियम कंडिका क्रमांक 3.3 में उल्लेखित प्रतिनिधियों अथवा उस पर आश्रित परिवार के सदस्यों को “प्राणघातक रोगों जैसे केन्सर, हृदय की बायपास सर्जरी/एन्जियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी जैसे गंभीर रोगों के उपचार हेतु सहायता के प्रकरणों में, डीन मेडिकल कालेज, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर पत्रकार कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा ऐसे प्रकरणों में उपचार के लिए आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी.

5.2 मीडिया प्रतिनिधियों को प्राकृतिक या आकस्मिक विपत्ति जैसे आगजनी आदि प्रकरणों में आर्थिक सहायता दी जा सकेगी. “यदि कोई श्रमजीवी पत्रकार किसी प्राकृतिक विपत्ति जैसे आगजनी, वाहन दुर्घटना, आकस्मिक रूप से संपत्ति का नुकसान आदि किसी दुर्घटना का शिकार होता है अथवा जनान्दोलनों/दंगों/बाढ़ आदि में समाचार कव्हेज करते समय पत्रकारों, कैमरामेनों के वाहन/कैमरा आदि क्षतिग्रस्त होते हैं, तो उक्त स्थिति में प्रभावित पत्रकार को पत्रकार कल्याण कोष से अधिकतम राशि रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) तक की सहायता मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति द्वारा लिये गये अंतिम निर्णय के पश्चात् दी जा सकेगी”.

5.4 “यदि किसी ऐसे अधिमान्यता प्राप्त श्रमजीवी पत्रकार की आकस्मिक मृत्यु होती है जिसकी कम से कम 10 वर्ष की पत्रकारिता सेवा हो चुकी हो तो उस पर आश्रित पत्नी और

नाबालिग बच्चों को तात्कालिक सहायता के लिये न्यूनतम रुपये 25,000/- (रुपये पच्चीस हजार मात्र) और अधिकतम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) की सहायता दी जा सकेगी. यद्यपि विशेष प्रकरणों में मध्यप्रदेश राज्य संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की अनुशंसा पर/अथवा आयुक्त/सचिव जनसंपर्क पत्रकारिता की सेवा और सहायता राशि आदि के संबंध में शिथिलता प्रदान कर सकेंगे तथापि यह आवश्यक होगा कि दिवंगत पत्रकार की पत्नी शासकीय सेवा में न हो अथवा अन्य किसी स्रोत से आय होने पर आयकर दाता न हो”.

6. सहायता की सीमा-पत्रकार कल्याण सहायता राशि से एक वित्तीय वर्ष में मीडिया प्रतिनिधि एवं उसके परिवार के सदस्यों को निर्धारित सीमा तक एक बार ही सहायता दी जा सकेगी. गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त प्रमाण और व्यय राशि अथवा संभावित व्यय का समाधान कारक ब्यौरा प्रस्तुत करने पर एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 50,000/- तक सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सकेगी.

6.1 मध्यप्रदेश संचार प्रतिनिधि कल्याण सहायता समिति की अनुशंसा पर सहायता राशि आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी. आयुक्त/संचालक, जनसंपर्क आकस्मिकता की स्थिति में अनुशंसा की प्रत्याशा में सहायता राशि स्वीकृत कर सकेंगे.

6.1.1 नियम कण्डिका क्रमांक 5.1. में उल्लिखित गंभीर बीमारियों के प्रकरणों में डीन मेडिकल कालेज, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक, स्वास्थ्य (चिकित्सा) शिक्षा अथवा संभागीय मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर म. प्र. संचार प्रतिनिधि कल्याण समिति की सहमति से आयुक्त/संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकतम रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) तक की आर्थिक सहायता स्वीकृत की जा सकेगी. इसके लिए रोगी को सरकारी अथवा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से इस प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त अस्पतालों में इन्डोर रोगी के रूप में इलाज कराया जा रहा हो या कराया जाना हो.

6.1.2 संचार प्रतिनिधि को बीमारी के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये बीमारी, चिकित्सालय में भर्ती होने, दवाओं आदि की खरीदी पर यह व्यय के प्रमाण शासकीय चिकित्सालय के मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट/मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुप्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होंगे.

6.1.3 सहायता की राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) से अधिक होने पर संबंधित अस्पताल के डॉक्टर अथवा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट से वास्तविक इलाज का प्रावकलन (एस्टीमेट) प्राप्त होने पर स्वीकृत राशि का बैंक ड्राफ्ट सीधे संबंधित चिकित्सालय के नाम भेजा जायेगा. इसके पूर्व रोगी के भर्ती, दवाएं खरीदी के देयक एवं अन्य जांच के देयक प्रस्तुत करने होंगे.

राकेश श्रीवास्तव, सचिव.